



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932

No. 313]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 7 जून, 2010

New Delhi, the 7th June, 2010

स.क.पि. 475(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में अभियोजन फाइल करने और उनके संचालन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

G.S.R. 475 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise the following officers in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, for the purposes of filing and conducting prosecution under the Companies Act, 1956.

1. श्री अजय कुमार, अभियोजक-II
2. श्री आर. के. तिवारी, सहायक निदेशक

1. Shri Ajay Kumar, Prosecutor-II
2. Shri R.K. Tiwari, Assistant Director

[फा. सं. 3/5/2004-सीएल. V]

[F.No. 3/5/2004-CL.V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.